फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट **बनाम** **अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट**

श्री हकमा राम
निवासी 77, गोगाजी मन्दिर के पास
डेरना, ओर तहसील आबूरोड
जिला सिरोही।

सरकार जरिये लोक सूचना अधिकारी
अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही

किस्म मुकदमा– **अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005** मुकदमा नं. 10 वर्ष 2026

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
08.01.2026	अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई। अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही को एक ऑनलाईन आवेदन दिनांक 18.12.2025 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि जोजूदेवी पुत्री श्री भीमाराम जाति रेबारी निवासी डेरना तह. आबूरोड के नाम से मुकदमा संख्या 01/2025 का नोटिस प्राप्त हुआ है, जबकि दस्तावेज संलग्न नहीं मिले है और इनकी दिनांक 07.01.2026 को अदालत में पेशी है। अतः मुकदमा संख्या 01/2025 के सभी दस्तोवजों की प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई हैं। मैने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10/– जमा करा दिए है। अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही को एक ऑनलाईन आवेदन दिनांक 18.12.2025 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि जोजूदेवी पुत्री श्री भीमाराम जाति रेबारी निवासी डेरना तह. आबूरोड के नाम से मुकदमा संख्या 01/2025 का नोटिस प्राप्त हुआ है, जबकि दस्तावेज संलग्न नहीं मिले है और इनकी दिनांक 07.01.2026 को अदालत में पेशी है। अतः मुकदमा संख्या 01/2025 के सभी दस्तोवजों की प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। पत्रावली के अवलोकन से यह पाया जाता है कि अपीलांट द्वारा मांगी गई उपरोक्त सूचना के सम्बन्ध में लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही द्वारा आदेश क्रमांक 4242372405 दिनांक 22.12.2025 के द्वारा अपीलांट को सूचित कर दिया गया है। अतः लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर, सिरोही के स्तर पर अब किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील खारिज की जाती है। निर्णय सर–ए–इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। (अल्पा चौधरी) **जिला कलक्टर, सिरोही**	